न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–110 / 2016

राम बिलास राम वगैरह.....वादीगण

बनाम

मो0 सीता देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

12.07.22 अभिलेख आज वादी की ओर से दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 26 नियम 10क के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–15.11.2021 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर दिनांक–04.03.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादीगणों ने यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद उनकी ओर से हकियत की उद्घोषणा हेतु दाखिल किया गया है तथा प्रतिवादीगणों द्वारा एक जालि फरेबी केवाला दिनांक–15.12.20215 के आधार पर उसपर गलत दावा पेश कर रहे हैं तथा प्रतिवादी सं0–1 वादपत्र के मद सं0–1 की भूमि पर पक्का निर्माण कर रहे हैं। अतः उक्त संरचना की भौतिक स्थिति प्राप्त करने हेतु सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन स्वीकृत करते हुए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन मनग्रहथं चौहद्दी रर्शाते हुए गलत तथ्य के साथ दाखिल किया गया है तथा अपने आवेदन में बेदखली के संबंध में उन्होंने किसी तथ्य का उल्लेख नहीं किया है। अतः सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति सही नहीं है एवं आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी ने केवल मात्र घोषणात्मक न्याय शुल्क अदा करते हुए वादपत्र के मद सं0–2 की भूमि पर अपना हकियत घोषित करवाने के लिए तथा केवाला दस्तावेज नबिस्ते प्रतिवादी सं0–2 बनाम प्रतिवादी सं0–1 को शून्य घोषित करवाने के लिए यह वाद दाखिल किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादपत्र के पृष्ठ सं0–5 की कंडिका–6 में वादी ने उक्त भूमि पर अपना दखल–कब्जा होना अभिवचित किया है, परन्तु दखल–कब्जा सम्पुष्टि अथवा दखल–कब्जा वापसी के संबंध में किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं की है। वादी के उपरोक्त आवेदनांकित कथन से यह स्पष्ट होता है कि विवादी भूमि पर प्रतिवादीगणों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः यह निर्माण कार्य बिना बेदखली के सम्भव नहीं है जबकि बेदखली के संबंध में उनका कोई अभिवचन अभिलेख पर मौजूद नहीं है। अतः केवल मात्र अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करते हुए प्रतिवेदन की मांग किया जाना यह माना जाएगा कि न्यायालय द्वारा बिना अभीवचन के वादी के पक्ष में बेदखली संबंधी प्रथम दृष्टया साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। अत्एव वर्तमान प्रास्थिति में सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति न्यायहित में युक्तियुक्त नहीं है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन खारिज किया जाता है एवं वादी

TS-110/16

12.07.22 को निर्देश दिया जाता है कि अगली तीन तिथियों के भीतर अपना साक्ष्य पूरा करें।

वाद दिनांक– 26.08.22 साक्ष्य वादी की ओर से प्रस्तुत करें।

सोनेलाल रजक,
अवर न्यायाधीश, पटोरी